न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू म0प्र0 ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी 2178-I-15

प्र0क्र0................/2015/ ~~सिविल~~ निगरानी

श्रीमती चन्दनमाला पत्नी डालचंद जैन निवासी ग्राम कटहरा तहसील लवकुश नगर (लोढी) जिला छतरपुर (म0प्र0) ....प्रार्थी

बनाम

हरीनारायण मिश्रा पुत्र भैयालाल निवासी कटहरा तहसील लवकुश नगर (लोढी) जिला छतरपुर (म0प्र0) ....प्रतिप्रार्थी

माननीय महोदय,

प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 एवं सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 प्र0क्र0 200/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2015 एस.डी.ओ. न्यायालय लवकुश नगर जिला छतरपुर के आदेश के विरुद्ध।

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u> :–

1. यहकि प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी के मध्यएक प्रकरण क्र.05/अ–6/2011–12 तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर म0प्र0 में विचाराधीन है।
2. यहकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवकुश नगर के पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रार्थी से नामांतरण कराने बाबत पैसों की मांग की और प्रतिप्रार्थी ने भी सरेआम गांव में यह प्रसारित कर दिया कि उसने तहसीलदार को प्रार्थी को बेची गई जमीन से प्राप्त रुपये में से आधी रकम तहसीलदार को दे दी है और प्रार्थी के खिलाफ नामांतरण का आदेश प्रतिप्रार्थी के पक्ष में कर देगें।
3. यहकि प्रार्थी महिला है उसके द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्य आवेदन पत्र में अभिलिखित करके तहसीलदार महोदय को दिया तो तहसीलदार महोदय ने आवेदन पत्र पढकर प्रार्थी को वापिस कर दिया और कहा कि प्रतिप्रार्थी सही कह रहा है, तुम्हारा मामला खारिज होगा।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2178–एक/2015 जिला छतरपुर

चन्दनमाला विरूद्ध हरीनारायण मिश्रा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21–2–2019	आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जौदान अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 200/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 29–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 21/02/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	